



पंचम अध्याय
शोध सार



अध्याय – 5

निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 भूमिका –

सारांश किसी भी अध्ययन को संक्षिप्त करने का प्रयास होता है जिसके द्वारा अध्याय को संक्षिप्त व सरल रूप में समझा जा सकता है। इस अध्याय में लघुशोध का सारांश एवं अध्याय 4 में दिये गये प्रदत्तों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ संबंधित अध्ययन को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए सुझाव भी देने का प्रयास किया गया है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा में किस प्रकार के सुधार कार्य करने चाहिए इसका भी विश्लेषण किया गया है।

5.2 समस्या कथन –

लैंगिक परिप्रेक्ष्य से बी. एस.सी. बी. एड. में अध्ययनरत छात्राओं के सहोदरों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन

5.3 अध्ययन के उद्देश्य –

1. बी.एस.सी.बी.एड. में अध्ययनरत छात्राओं के सहोदरों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना ।
2. लैंगिक परिप्रेक्ष्य बी.एस.सी.बी.एड. में अध्ययनरत छात्राओं के सहोदरों की शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण करना ।

5.4 शोध का सीमांकन –

1. यह अध्ययन म. प्र. के भोपाल जिले के श्यामला हिल्स क्षेत्र में स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में छात्राओं तक ही सीमित है ।
2. यह शोध कार्य बी.एस.सी. बी.एड. के प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ष के छात्राओं तक ही सीमित है ।

5.5 जनसंख्या –

प्रस्तुत शोध कार्य में आर. आई. ई. भोपाल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष की छात्राएँ सम्मिलित हैं। जिनकी संख्या क्रमशः 57,59,35, और 81 है। सभी को सम्मिलित करने पर यह संख्या 222 हैं।

5.6 न्यादर्श –

किसी भी अनुसंधान कार्य में प्रतिदर्श का चुनाव एवं उसकी संरचना महत्त्वपूर्ण होती है। प्रस्तुत शोधकार्य हेतु शोधकर्ता द्वारा प्रतिदर्श का चयन, सोद्देशीय न्यादर्श के अंतर्गत बी. एससी. बी. एड. में अध्ययनरत वे छात्राएँ हैं, जिनके सहोदर (भाई) 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं ऐसी छात्राओं की संख्या 70 है।

5.7 शोध में प्रयुक्त चर –

सहोदरों की शैक्षिक स्थिति प्रस्तुत शोध में चर है।

5.8 उपकरण –

प्रस्तुत शोधकार्य में शोध विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली तैयार की गई। प्रस्तुत प्रश्नावली में सहोदरों की शैक्षिक स्थिति से संबंधित सामान्य जानकारी एवं 8 अन्य विधानों को सामिल किया गया है। यह विधान छात्राओं एवं अभिभावकों के बी. एससी. बी. एड. पाठ्यक्रम के संबंध में विचारों को दर्शाता हैं। यह प्रश्नावली परिशिष्ट में संलग्न की गई है।

5.9 समस्या के मुख्य परिणाम –

उपरोक्त अध्ययन के अनुसार निम्न परिणाम प्राप्त हुए—

1. अभियांत्रिकी विषय का अध्ययन करने वाले सहोदरों की संख्या अधिक है।
2. 75.71 प्रतिशत छात्राओं ने अपनी इच्छानुसार पाठ्यक्रम का चुनाव किया।
3. अधिकतर छात्राएँ जिन्होंने बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है उनके विचार शिक्षक बनना है। अतः 86.79 प्रतिशत छात्रायें, इस पाठ्यक्रम में सफल होने के पश्चात् शिक्षक बनना चाहती हैं।
4. अधिकतर छात्राओं ने पिता और भाई के कहने पर बी. एससी. बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया।

5. अभिभावकों ने इस पाठ्यक्रम का चुनाव इसलिये करवाया की उनकी पुत्रीयाँ शिक्षक ही बने।
6. मुख्य रूप से छात्रायें बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर संतुष्ट हैं।
7. छात्राओं को स्वतंत्रता दी जाती तो वे चिकित्सकी या अभियांत्रिकी जैसे अन्य किसी पाठ्यक्रम का चुनाव करती।
8. भाई को स्वयं द्वारा पाठ्यक्रम का चुनाव करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।
9. छात्राओं के अनुसार शिक्षण क्षेत्र में कार्य करना अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक सुरक्षित है।
10. छात्राओं द्वारा शिक्षण क्षेत्र में कार्य करने को अधिक सुरक्षित, सुरक्षा की दृष्टिकोण से माना है और इस क्षेत्र में समय सीमा को भी महत्त्व दिया गया है।

5.5 निष्कर्ष —

प्रश्नावली में वर्णित आठ प्रश्नों की विवेचना के आधार पर उद्देश्य क्र. 2 की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए —

1. अभियांत्रिकी विषय का अध्ययन करने वाले सहोदरों की संख्या अधिक है।
2. हालांकि 75.71 प्रतिशत छात्राओं ने अपनी इच्छानुसार पाठ्यक्रम का चुनाव किया अपितु यह चुनाव उन्होंने पिता और भाई के कहने पर किया। अभिभावकों ने इस पाठ्यक्रम का चुनाव इसलिए करवाया कि उनकी पुत्रीयाँ शिक्षक ही बने। इसके विपरीत अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अधिकतर छात्राओं के सहोदर अभियांत्रिकी तथा चिकित्सा जैसे विषयों का अध्ययन कर रहे हैं या किया है। तथा उन्हें इन क्षेत्रों का चुनाव करने की स्वतंत्रता भी दी गई थी।

छात्राओं को अगर स्वयं पाठ्यक्रम का चुनाव करने की अनुमति दी जाती तो वे भी अपने सहोदरों जैसे चिकित्सकी, अभियांत्रिकी या अन्य किसी पाठ्यक्रम का चुनाव करती। अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि शिक्षक का पेशा सुरक्षित तथा निर्धारित समय सीमा वाला होने के कारण इस पेशे का चुनाव किया गया है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभिभावकों का उनके पुत्रियों को बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रम में भेजने का निर्णय काफी हद तक लैंगिक दृष्टिकोण से पक्षपात पूर्ण है।

5.7 सुझाव –

बच्चों में बाल्यावस्था से ही मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और भाषिक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है और वह किशोर अवस्था में जाकर स्थिर होती है। अगर इस समय बच्चों में लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहार होता है तो उसका लंबे समय तक नकारात्मक दृष्टिकोण रहता है।

आधुनिक युग में प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा और तकनीक के कारण जागरुकता दिखाई देती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में लिंग समानता को महत्व दिया जा रहा है। इस कारण अभिभावकों और विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है। फिर भी हमारी परंपरा, संस्कृति और रीतिरिवाज के कारण अभिभावकों और विद्यार्थियों के व्यवहार और दृष्टिकोण में जाने अनजाने अभी भी लिंग भेद पर आधारित कार्य विभाजन दिखाई देता है।

अभिभावकों को चाहिए कि वे लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव न करे, जितनी स्वतंत्रता लड़कों को दी जाती है लड़कियों को भी उतनी स्वतंत्रता प्रदान करें। अभिभावकों द्वारा पाठ्यक्रम चुनाव संबंधी निर्णय लेने के लिए लड़के और लड़कियों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करें।

5.8 भावी शोध हेतु सुझाव –

1. लिंग समानता के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन।
2. अभिभावकों का लिंग समानता के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन।
3. अभिभावकों का स्त्री शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन।
4. शहर के गरीबी क्षेत्र और सम्पन्न क्षेत्रों के परिवारों में लिंग आचरण के व्यवहार का अध्ययन।
5. विद्यालयों में लिंग भेद पर आधारित कार्य विभाजन में समाज का दृष्टिकोण का अध्ययन।
6. लिंग भेद पर आधारित कार्य विभाजन में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन।

